

मुकदमों का विवरण

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाम

D.G.O.F. कर्मचारी संगठन और ANDRI (2016 की सिविल अपील सं. 1663)

नवंबर 09, 2023

[ए. एस. बोपन्ना और

पामिदिघंतम श्री नरसिम्हा, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में न्यायसंगत ठहराया गया था कि प्रतिवादी पैरा 3.1 के संदर्भ में लाभ के हकदार होंगे। 9 छठे केंद्रीय वेतन आयोग में निहित सिफारिशों और उस संबंध में क्या उसने अपीलार्थी के इस तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया कि उसे पैरा 3.1.14 द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए था।

सेवा विधि - वेतनमान में समानता - ऐतिहासिक समानता - आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ. एफ. बी.) के मुख्यालयों में कर्मचारियों के प्रत्यर्थी - संघ ने ओ. एफ. बी., मुख्यालय के सहायक और व्यक्तिगत सहायकों के वेतनमान के उन्नयन की मांग की, जैसा कि केंद्रीय सचिवालय सेवा (सी. एस. एस.) के समान रूप से रखे गए कर्मचारियों और सशस्त्र बल मुख्यालय सिविल सेवा संवर्ग, नई दिल्ली और इसी तरह के अन्य संवर्गों में समकक्ष पदों को दिया गया है - सी. ए. टी. द्वारा प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया - उच्च न्यायालय द्वारा अलग किए गए आदेश में कहा गया है कि प्रत्यर्थी के सदस्यों को ऐतिहासिक रूप से सी. एस. एस./सी. एस. एस. एस. कर्मचारियों के बराबर माना जाता था और उन्हें पहले समान वेतन और सभी लाभ प्राप्त होते थे - वैधता:

आयोजित किया गया: उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 3.1 पर दी गई निर्भरता। 9 यह इस तथ्य पर आधारित है कि समानता थी क्योंकि कार्यान्वयन के लिए मांगा गया वेतनमान वह है जो मुख्यालय के कर्मचारियों को प्रदान किया गया था क्योंकि उन्हें सीएसएस/सीएसएसएस में मुख्यालय के कर्मचारियों के रूप में समान रूप से रखा गया था - इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा जो भी ध्यान में रखा गया था वह वेतनमान में ऐतिहासिक समानता है जो छठे सीपीसी की सिफारिशों से पहले मौजूद थी - ऐसी ऐतिहासिक समानता 857

856

भारत संघ और ओ. आर. एस. बनाम D.G.O.F. कर्मचारी संघ और ए. एन. आर.

जो अस्तित्व में था, उस पर ध्यान दिया गया और उस संदर्भ में, लागू वेतनमान को ध्यान में रखा गया और तदनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आयुध कारखानों के मुख्यालयों में

कर्मचारियों को समान रूप से तैनात किए जाने पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है- इसलिए, इस तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा अनुमत मापदंडों के भीतर आएगा-साथ ही, उच्च न्यायालय ने तथ्य की स्थिति पर ध्यान दिया और वेतन विसंगति को सुधार दिया- उच्च न्यायालय ने कानूनी के साथ-साथ तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, इस तरह से आगे नहीं बढ़ा कि अलग-अलग संगठनों में कर्मचारियों के दो समूहों को बराबर किया जा सके-लेकिन, वेतन आयोग की सिफारिश और मुख्यालयों में कार्यरत समान रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए अनुशंसित वेतनमानों की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए और नोटिस करने पर।[पैरा 12,13 15]

सेवा विधि -वेतनमान का निर्धारण-न्यायालय की शक्ति:

आयोजित किया गया:यद्यपि न्यायालय उन कर्मचारियों की तुलना करके कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वेतनमान निर्धारित करने की कवायद नहीं करेंगे जिन्हें ऐसे मामलों में समान रूप से नहीं रखा गया है जहां ऐसे जटिल मुद्दों को निर्धारित करने की कवायद उत्पन्न होगी, साथ ही, कर्मचारियों को राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है जब नियोक्ता द्वारा मामले में शामिल तथ्यों को ध्यान में रखे बिना तर्कहीन विचार के कारण हक से इनकार किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को लाभ से वंचित किया जाता है।[पैरा 10]

नगरों और अन्य संदर्भों की सूची

भारत संघ और अन्य बनाम मनोज कुमार और अन्य, सिविल अपील

2021 का Nos.913-914 का निपटान 31.08.2021-विशिष्ट पर किया गया।

अखिल भारतीय नौसेना क्लर्क संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.29204 से उत्पन्न नागरिक अपील

2019 का दिनांक 27.07.2022-पर निर्भर था।

पंजाब राज्य और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य, (2017) 1 एस. सी. सी. 148: [2016] 7 एस. सी. आर. 350; यूनियन ऑफ इंडिया बनाम इंडियन नेवी सिविलियन डिजाइन ऑफिसर्स एसोसिएशन और एक अन्य, (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 173; यूनियन ऑफ इंडिया

भारत बनाम दिनशान के. के., (2008) 1 एस. सी. सी. 586:[2008] 1 एस. सी. आर. 100-संदर्भित।

858 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपील की अधिकारिता 2016 की सिविल अपील No.1663/2013 के डब्ल्यूपीसी No.4606 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 14.10.2014 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

आर. बाला, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरविंद कुमार शर्मा, राजेश रंजन, माधव सिंहल, शांतनु शर्मा, नवान्जय महापात्रा, डॉ. एन. विशाकामूर्ति, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री किरण सूरी, सीनियर। अधिवक्ता, एस. जे. अमित, सुश्री विदुषी गर्ग, सुश्री ऐश्वर्या कुमार, डॉ. (श्रीमती) विपिन गुप्ता, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

ए. एस. बोपन्ना, जे.

1. अपीलार्थी-भारत संघ और अन्य इस न्यायालय के समक्ष 2013 की रिट याचिका (सिविल) No.4606 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 14.10.2014 के आदेश पर आरोप लगा रहे हैं। उक्त आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने 2011 के ओ. ए. No.39 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ (संक्षेप में 'सी. ए. टी.')

द्वारा पारित दिनांक 18.10.2012 के आदेश और 2013 के R.A.No.43 वाले समीक्षा आवेदन में पारित दिनांक 01.04.2013 के आदेश को रद्द कर दिया है। इस प्रकार कैट ने वेतनमान में समानता के लिए उत्तरदाताओं द्वारा मांगी गई राहत को अस्वीकार कर दिया था। उच्च न्यायालय ने कैट के आदेश अपास्त करते हुए ते हुए कहा है कि प्रतिवादी अनुच्छेद 3.1 के संदर्भ में लाभ के हकदार होंगे। 9 छठे केंद्रीय वेतन आयोग (संक्षेप में छठे सी. पी. सी.) में निहित सिफारिशों में से। इसलिए पीड़ित होने का दावा करने वाले अपीलार्थी इस अपील में हैं।

2. प्रत्यर्थी आयुध निर्माणी बोर्ड के मुख्यालय में कर्मचारियों का एक संघ है। उन्होंने आयुध निर्माणी बोर्ड, मुख्यालय के सहायक और व्यक्तिगत सहायकों के वेतनमान के उन्नयन की मांग की, जैसा कि केंद्रीय सचिवालय सेवा (संक्षिप्त में 'सीएसएस') के समान कर्मचारियों और सशस्त्र बल मुख्यालय 859 में समकक्ष पदों को दिया गया था।

भारत और ओ. आर. एस. का संघ बनाम D.G.O.F. कर्मचारी संघ और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 860

सिविल सेवा (संक्षिप्त में 'ए. एफ. एच. सी. एस.')

संवर्ग, नई दिल्ली और इसी तरह के अन्य संवर्ग। रक्षा मंत्रालय ने दिनांकित 20.04.2010 आदेश के माध्यम से इसे मंजूरी नहीं दी। यह उत्तरदाताओं को दिनांकित 07.06.2010 पत्र द्वारा सूचित किया गया था। इसलिए व्यथित होने वाले उत्तरदाता कैट के समक्ष थे। कैट ने उस प्रार्थना को भी अस्वीकार कर दिया जिसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही हुई।

3. उच्च न्यायालय ने मामले का विश्लेषण करने के बाद हालांकि यह विचार रखा कि प्रतिवादी के सदस्यों को ऐतिहासिक रूप से सी. एस. एस./सी. एस. एस. एस. कर्मचारियों के बराबर माना जाता था और उन्हें पहले समान वेतन और सभी लाभ प्राप्त होते थे। इसलिए इसमें अपीलकर्ताओं को एक निर्देश जारी किया गया था कि वे प्रत्यर्थी संघ के सदस्यों और आयुध कारखानों और ओ. एफ. बी. में काम करने वाले अन्य समान रूप से नियुक्त सहायकों को उसी वेतनमान पर नियुक्त करें जो उसी तरह सी. एस. एस./सी. एस. एस. एस., सेना मुख्यालय, यू. पी. एस. सी., सी. ए. टी., एम. ई. ए., संसदीय कार्य मंत्रालय आदि में रखे गए सहायकों को उसी तारीख से प्रभावी होने के साथ दिया गया था जो उन्हें पहली बार दिया गया था। अतः इससे व्यथित होने का दावा करने वाला अपीलार्थी इस अपील में है।

4. श्री आर. बाला सुब्रमण्यन को सुना, अपीलार्थी की वरिष्ठ वकील सुश्री किरण सूरी ने उत्तरदाताओं के वरिष्ठ वकील को सुना और अपील पत्रों का अध्ययन किया।

5. अपीलार्थियों की ओर से तर्क का जोर यह है कि वेतनमान से संबंधित मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सीमित है, जब तक कि मनमानेपन का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है या स्पष्ट भेदभाव नहीं है। जहाँ तक छठे सी. पी. सी. की सिफारिशों में निहित प्रावधान है, अपीलार्थी पैरा 3.1.14 पर भरोसा करना चाहते हैं जो प्रतिस्थापन वेतनमान की सिफारिश करता है। उत्तरदाताओं द्वारा इसके बजाय पैरा 3.1 पर निर्भरता रखी गई। यह तर्क देना विवादित है कि यह ओ. एफ. बी. के कर्मचारियों को संदर्भित नहीं करता है और यह आगे तर्क दिया जाता है कि यह कोई अतिरिक्त लाभ नहीं देता है। उस पृष्ठभूमि में, यह देखा जाता है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि क्रमिक सी. पी. सी. सिफारिशों के परिणामस्वरूप वेतनमान में समानता आई थी और इस तरह के समान व्यवहार को देखते हुए ऐतिहासिक रूप से छठे सी. पी. सी. में प्रदान किए गए वेतनमान के साथ-साथ पैरा 3.1 में निहित इरादे पर भी विचार किया था। जो समानता प्रदान करता है।

6. जिस तरह से उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए मुद्दे का विश्लेषण किया है, उसकी सराहना करने के लिए, यह उचित होगा -

/

[2023] 14 एस सी आर।

उच्च न्यायालय द्वारा किए गए विचार के प्रासंगिक भाग को पुनः प्रस्तुत करें। वही नीचे पढ़ा गया है:-

“16. इस पृष्ठभूमि में, छठे सी. पी. सी., यानी पैरा 3.1 की प्रासंगिक सिफारिशों को निकालना आवश्यक होगा। 9 और 3.1.14 जो इस प्रकार है:

“ 3.1.9 तदनुसार, आयोग ने सभी सचिवालय सेवाओं (सी. एस. एस. के साथ-साथ गैर-प्रतिभागी मंत्रालयों/विभागों/संगठनों सहित) में अनुभाग अधिकारियों के प्रवेश पैमाने को

बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये करने की सिफारिश की है। Rs.4800 के ग्रेड वेतन के साथ Rs.8700-34800 के संशोधित वेतन बैंड PB2 के अनुरूप 7500-12000। इसके अलावा, सी. एस. एस. में पहले से उपलब्ध व्यवस्था के समान, अन्य सचिवालय कार्यालयों में अनुभाग अधिकारी, जिनकी हमेशा सी. एस. एस./सी. एस. एस. एस. के साथ एक स्थापित समानता रही है, को समूह बी में Rs.8700-34800 के संशोधित वेतन बैंड पी. बी. 2 के अनुरूप Rs.8000-13500 के पैमाने के साथ-साथ निम्न श्रेणी में चार साल की सेवा पूरी करने पर Rs.4800 के ग्रेड वेतन के साथ बढ़ाया जाएगा। यह सभी सचिवालय कार्यालयों के बीच पूर्ण समानता सुनिश्चित करेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि इन सेवाओं में सेक्शन ऑफिसर के पद के लिए Rs.8700-34800 के पे बैंड PB2 के साथ-साथ Rs.4800 के ग्रेड पे की सिफारिश की जा रही है, ताकि केवल उन मौजूदा सापेक्षताओं को बनाए रखा जा सके जो तब बाधित हुई थीं जब पैमाने को केवल CSS में सेक्शन ऑफिसर तक बढ़ाया गया था। वेतन बैंड पी. बी.-2 में Rs.4800 का ग्रेड ले जाने वाला ग्रेड वेतन, अन्यथा, एक नियमित ग्रेड के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और इसे किसी अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए विस्तारित नहीं किया जाना चाहिए। ये सिफारिशें इन सेवाओं में निजी सचिव/समकक्ष के पद पर भी मुतातिस उत्परिवर्तन लागू होंगी। सचिवालय कार्यालय में पदों की संरचना अब इस प्रकार होगी:

पोस्ट	पूर्व संशोधित वेतनमान	अनुरूप संशोधित वेतन सीमा और श्रेणी वेतन
एलडीसी	Rs.3050-4590	Rs.1900 के ग्रेड वेतन के साथ Rs.4860-20200 का PB-1
यूडीसी	Rs.4000-6000	Rs.4860-20200 का PB-1 और Rs.2400 का ग्रेड वेतन
सहायक	Rs.6500-10500	Rs.8700-34800 का PB-2, Rs.4200 के ग्रेड वेतन के साथ

- 861

भारत और ओ. आर. एस. का संघ बनाम D.G.O.F. कर्मचारी संगठन और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 862 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

अनुभाग आधिकारिक	Rs.7500-12000 Rs.8000-13500 (चार साल पूरे होने पर)	Rs.8700-34800 के PB-2 के साथ Rs.8700-34800 के PB-2 के ग्रेड वेतन के साथ Rs.5400 * के ग्रेड वेतन (चार साल पूरे होने पर)
अंतर्गत सचिव	आर एस। 1 0 0 0 0 - 1 5 2 0 0 Rs.8000-13500 (चार साल पूरे होने पर)	Rs.15600-39100 का PB-3, Rs.6100 के ग्रेड वेतन के साथ
उप सचिव Rs.12000-16500		Rs.6600 के ग्रेड वेतन के साथ Rs.15600-39100 का PB-3
निर्देशक	Rs.14300-18300	Rs.15600-39100 का PB-3, Rs.7600 के ग्रेड वेतन के साथ

* यह पैमाना केवल उन संगठनों/सेवाओं में उपलब्ध होगा जिनकी सी. एस. एस./सी. एस. एस. के साथ ऐतिहासिक समानता रही है। अतः ए. एफ. एच. क्यू. एस. एस./ए. एफ. एच. क्यू. एस. एस. एस./आर. बी. एस. एस. जैसी सेवाओं और मंत्रालयों/विभागों जैसे मंत्रालयों/संगठनों जैसे एम. ई. ए., संसदीय कार्य मंत्रालय, सी. वी. सी., यू. पी. एस. सी. आदि में मंत्री/सचिवीय पदों को शामिल किया जाएगा। "

XXXXXX

XXXXXX

गैर-सचिवालयी संगठनों के लिए XXXXXX सिफारिशें

3.1.14 पहले के पैराग्राफ में स्थापित सिद्धांत के अनुसार, फील्ड और सचिवालय कार्यालयों के बीच समानता की सिफारिश की जाती है। इसमें कुछ श्रेणियों का विलय शामिल होगा। आशुलिपिक संवर्ग में, Rs.4500-7000/Rs.5000-8000 और Rs.5500-9000 के मौजूदा पैमाने में आशुलिपिक ग्रेड II और ग्रेड I के पदों का विलय कर दिया जाएगा और उन्हें Rs.6500-10500 के उच्च वेतनमान में रखा जाएगा। गैर-सचिवीय कार्यालयों में मंत्री पद के मामले में, Rs.5000-8000, Rs.5500-9000 और Rs.6500-105000 के संबंधित वेतनमान में प्रमुख लिपिक, सहायक, आधिकारिक अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड III के पदों

का विलय हो जाएगा।इसलिए, क्षेत्र संगठन में मौजूदा और संशोधित संरचना इस प्रकार होगी:-

पदनाम		वर्तमान वेतनमान		अनुशंसित वेतनमान	
पदनाम		वर्तमान वेतनमान		अनुशंसित वेतनमान	
सी ओर ई स्पोंडी एनजी पे बैंड एंड ग्रेड पे					
भुगतान बैंड			ग्रेड वेतन		
एलडीसी	3050-4590	3050-4590	पीबी-1	1900	
यूडीसी	4000-6000	4000-6000	पीबी-1	2400	
हेड क्लर्क/सहायक/एस. टी. एन. ओ. जी. आर. ए. डी. आई. आई./समकक्ष			4500- 7000/ 5000- 8000		
6500-10500					
पीबी-2			4200		
कार्यालय अधीक्षक/स्टेनो ग्रेड I/समकक्ष	5500-9000				
अधीक्षक/सहायक। एडमिन। आधिकारिक/निजी सचिव/समकक्ष	6500-10500	6500-10500	पीबी-2	4200	

प्रशासनिक कार्यालय

7500-

7500-12000 प्रविष्टि

पीबी-2 4800

ग्रेड II/सीनियर निजी

12000

जी आर ए डी ई एफ ओ आर एफ आर एस एच

सचिव/बराबर।

भर्ती) 8000-13500

(पूरा होने पर

(4 साल बाद)

चार साल)

प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड I	1 0 0 0 0 - 15200	10000-15200	पीबी-2	6100
------------------------------	----------------------	-------------	--------	------

नोट 1:Rs.7450-11500 के मध्यवर्ती पैमाने में पद, जहां भी मौजूद हैं, उन्हें संबंधित प्रतिस्थापन वेतनमान और ग्रेड वेतन के रूप में बढ़ाया जाएगा। "

नोट 2 हालाँकि, Rs.7500-12000 के पैमाने में मौजूदा प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड II/वरिष्ठ निजी सचिव/समकक्ष को संबंधित प्रतिस्थापन वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में तब तक रखा जाएगा जब तक कि वे Rs.8700-34800 के संशोधित वेतन बैंड PB2 के अनुरूप Rs.8000-13500 के पैमाने में रखे जाने के योग्य नहीं हो जाते हैं। "

17. छठे सी. पी. सी. ने ए. एफ. एच. क्यू. सिविल सेवा, ए. एफ. एच. क्यू. आशुलिपिक सेवाओं और विभिन्न मुख्यालय संगठनों में इसी तरह के अन्य पदों के बारे में यह कहा था:

“ए. एफ. एच. क्यू. सिविल सेवा और ए. एफ. एच. क्यू. आशुलिपिक सेवा 863

भारत और ओ. आर. एस. का संघ बनाम D.G.O.F. कर्मचारी संगठन और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 864

7.10.22 ए. एफ. एच. क्यू. सिविल सर्विसेज और ए. एफ. एच. क्यू. आशुलिपिक सेवा ने सी. एस. एस. एस. और सी. एस. एस. के साथ समानता की मांग की है। चूंकि आयोग ने मुख्यालयों और अन्य कार्यालयों में पदों के बीच समानता की सिफारिश की है, इसलिए यह केवल न्यायसंगत है कि इस तरह की समानता विभिन्न मुख्यालय संगठनों में समान रूप से रखे गए पदों के बीच भी मौजूद है। आयोग, तदनुसार, अनुशंसा करता है कि इन सेवाओं में सहायक और अनुभाग अधिकारी स्तर के पदों के बीच समानता बनाए रखी जानी चाहिए।

"18. उपरोक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि समानता से इनकार केंद्र सरकार की छठी सी. पी. सी. सिफारिशों की व्याख्या पर आधारित है। जैसा कि पहले देखा गया है, ओ. एफ. बी. के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ओ. एफ. में काम करने वाले सहायकों और समान रूप से स्थित सहायकों के बीच समानता मौजूद थी।

सीएसएस/सीएसएसएस में। यह समानता एक ओर सी. एस. एस./सी. एस. एस. एस. सहायकों और दूसरी ओर केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले अन्य सभी गैर-सचिवालय कर्मचारियों में समान श्रेणी के कर्मचारियों के बीच भी मौजूद थी। पाँचवीं सी. पी. सी. सिफारिशों और इसके कार्यान्वयन के बाद भी यह समानता **10** वर्षों तक बनी रही। एकमात्र घटना जिसने बदलाव लाया वह छठी सी. पी. सी. सिफारिशों का परिणाम नहीं था; यह उन सभी संगठनों में सहायकों के लिए वेतनमान का मध्यवर्ती उन्नयन था जो उन सिफारिशों की स्वीकृति तक मौजूद था। अन्य सभी को दिया गया उन्नयन लेकिन ओ. एफ. में कर्मचारियों को अस्वीकार करना प्रस्थान का बिंदु था, और उनके खिलाफ किए गए भेदभाव का भी मोड़ था। **19.** इनकार के लिए केंद्र सरकार का पहला स्पष्टीकरण यह है कि यह छठी सी. पी. सी. सिफारिशों के पैरा **3.1.14** द्वारा अधिकृत है। यह स्पष्ट रूप से गलत है, क्योंकि छठे सी. पी. सी. के उस हिस्से ने केवल मौजूदा **Rs.5000-8000-**से प्रतिस्थापन पैमाने को **Rs.6500-10,500/-** होने का संकेत दिया है। जब तक इस सिफारिश को स्वीकार किया गया, तब तक सीएसएस/सीएसएसएस में सहायक पहले से ही **Rs.6500-10,500/-** के उच्च पैमाने का आनंद ले रहे थे। यहां तक कि सी. पी. एस. (संशोधित वेतन) नियम, **2008** भी इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं। के अंतर्गत

उक्त नियमों के नियम 3 (1), "मौजूदा मूल वेतन" का अर्थ है "वेतन के निर्धारित मौजूदा पैमाने में प्राप्त वेतन, जिसमें ठहराव वृद्धि (ओं) भी शामिल है, लेकिन इसमें किसी अन्य प्रकार का वेतन जैसे 'विशेष वेतन' आदि शामिल नहीं है। दूसरी ओर, नियम 3 (2) में किसी सरकारी कर्मचारी के संबंध में "वर्तमान पैमाना" निर्धारित किया गया है जो "धारण किए गए पद पर लागू वर्तमान पैमाना" है।

/

[2023] 14 एस सी आर।

सरकार द्वारा servant.as January.2006 के पहले दिन। नियम 3 (7) ने "संशोधित वेतन संरचना" को पहली अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट किसी भी पद के संबंध में एक के रूप में परिभाषित किया है और जिसका अर्थ है "उस पद के खिलाफ निर्दिष्ट वेतन सीमा और ग्रेड वेतन या कॉलम 5 और 6 में निर्दिष्ट वेतनमान, जब तक कि उस पद के लिए अलग-अलग संशोधित वेतन सीमा और ग्रेड वेतन या वेतनमान को अलग से अधिसूचित नहीं किया जाता है।" नियम 11 ने 01.01.2006 के बाद वेतन में भुगतान के तरीके को निर्धारित किया। नियमों की पहली अनुसूची की धारा II का भाग बी निर्दिष्ट रूप से निम्नानुसार है:

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

“ एस. एल. नहीं। (1)	पोस्ट (2)	वर्तमान पैमाना	आर ई वी एस	अनुरूप भुगतान और	रीपोर टी का
---------------------	-----------	----------------	------------	------------------	-------------

		(3)	ई डी स्केल (4)	बैंड	पैरा नंबर (7)
				भुगतान बैंड (5)	ग्रेड वेतन (6)
सचिवालय में कार्यालय *					
1	अनुभाग आधिकारिक/ पीएस/समकक्ष	6500- 10500/-	7500- 12000 8000- 13500 (4 साल पूरे होने पर)	पीबी-2 पीबी- 3	4800/- 5400/- (4 साल पूरे होने पर)
					3.1. /

* यह पैमाना केवल उन संगठनों/सेवाओं में उपलब्ध होगा जिनकी सी. एस. एस./सी. एस. एस. के साथ ऐतिहासिक समानता रही है। अतः ए. एफ. एच. क्यू. एस. एस./ए. एफ. एच. क्यू. एस. एस. एस./आर. बी. एस. एस. और मंत्रालयों/विभागों के संगठनों जैसे एम. ई. ए., संसदीय कार्य मंत्रालय, सी. वी. सी., यू. पी. एस. सी. आदि में मंत्रालयी/सचिवीय पदों जैसी सेवाओं को शामिल किया जाएगा।

सचिवालय के बाहर संगठनों में कार्य करने वाला कार्यालय					
1	ह	4	6	प	4
	े	5	5	ी	2
	ड	0	0	ब	0
		0	0	ी	0
	क	-	-	-	/
	ं		1	2	-
	ल	7	0		1
	र	0	5		5
	ं	0	0		4
	क	0	0		0
	/	/			0
	स	5	8	/	
	ह	0	0	-	
	ा	0	0		
	य	0	0	(	
	क	-	-	4	
	/	1			
	स	8	3	स	
	ं	0	5	ा	
	ह	0	0	ल	
	े	0	0		
	न	/	0	प	
	ो			ं	
	ग	(		े	
	ं	4			
	र	स		ह	

े	ा	ो
ड	ल	न
।	प	े
।	र	प
स	े	र
म	ह	)
क	ो	
क	न	
ं	े	
ष	प	
	र	
	)	

865

भारत और ओ. आर. एस. का संघ बनाम D.G.O.F. कर्मचारी संगठन और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 866 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

/	प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड II/वरिष्ठ निजी सचिव/समकक्ष		7500-12000 7500-12000 (नई भर्तियों के लिए प्रवेश श्रेणी) 8000-13000/- (4 वर्ष पूरे होने पर)	पीबी-2	480/- 5400/- (4 साल पूरे होने पर)	3
---	--	--	---	--------	--------------------------------------	---

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX "

उपरोक्त तालिका का दिलचस्प हिस्सा यह है कि लेकिन इसके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के लिए, नियमों का मूल भाग "संशोधित वेतन" की अवज्ञा के साथ पहली अनुसूची के भाग ए में बताए गए प्रतिस्थापन मानकों के अनुसार होने पर आधारित है।पहली अनुसूची के अंतर्गत संकेतित पैमाने चार वेतनमानों के विलय के रूप में हैं-Rs.4500-7000-; Rs.5000-8000-; Rs.5500-9000-और Rs.6500-10,500/-।सभी को एक वेतनमान में मिला दिया जाता है, अर्थात् Rs.9300 -

34800/-.नियमों के साथ-साथ छठी सी. पी. सी. सिफारिशें विशेष रूप से "ऐतिहासिक समानता" के आधार पर वेतन लाभ को जारी रखने की बात करती हैं।जैसा कि पहले देखा गया है, इस ऐतिहासिक समानता से इनकार नहीं किया जाता है; हालाँकि, आयुध कारखानों में कर्मचारियों को उन्नयन के लाभ से इनकार करने और इसके परिणामस्वरूप उच्च वेतनमान में नियुक्ति के लिए स्पष्टीकरण यह है कि ओ. एफ. बी. कर्मचारियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जैसा कि अन्य गैर-सचिवीय कर्मचारियों का उल्लेख किया गया है:“जैसे ए. एफ. एच. क्यू. एस. एस./ए. एफ. एच. क्यू. एस. एस. एस./आर. बी.

एस. एस. और मंत्रालयों/विभागों के संगठनों जैसे एम. ई. ए., संसदीय कार्य मंत्रालय, सी. वी. सी., यू. पी. एस. सी. आदि में मंत्रिस्तरीय/सचिवालय पद।" यह तर्क अस्पष्ट और विशिष्ट दोनों हैं, क्योंकि विशिष्ट सी विभाग का उल्लेख केवल चित्रण के माध्यम से किया गया था; अन्यथा एक विपरीत इरादा स्पष्ट होता। यह कि कुछ, सभी गैर-सचिवालय कर्मचारियों का उल्लेख उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है, योग्यता शर्तों से स्पष्ट है-"जैसे" और "आदि।" केवल कुछ उदाहरणों के संदर्भ में ऐतिहासिक समानता का संकेत उन सभी संगठनों को शामिल करना था जहां कर्मचारियों का वेतनमान समान था, न कि केवल गणना किए गए विभागों या संगठनों में। कोई भी अन्य व्याख्या ऐतिहासिक समानता को बनाए रखने के पूरे इरादे को पूरी तरह से नकार देगी।

21. उत्तरदाताओं का दूसरा निवेदन था कि आयुध कारखानों में कर्मचारी मुख्यालय आधारित संगठनों में काम नहीं कर रहे थे। अभिलेख से उपलब्ध आयुध कारखानों का इतिहास यह है कि **27 सितंबर, 1975** के केंद्र सरकार के आदेश द्वारा राष्ट्रपति ने सशस्त्र बल मुख्यालय सेवा योजना को महानिदेशालय मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए उत्परिवर्तित कर दिया था। बाद में, **09.01.1979** के आदेश से, डी. जी. ओ. एफ. के मुख्यालय कार्यालय में आयुध निर्माणी बोर्ड की स्थापना की गई। ये दस्तावेज़ उत्तरदाताओं के इस कथन की असमर्थता की ओर इशारा करते हैं कि सेवाएं मुख्यालय आधारित नहीं हैं। सेवाएँ। इस संदर्भ में, यह उल्लेखनीय है कि छठे सी. पी. सी. की सिफारिशों में "मुख्यालय" का उल्लेख किया गया है, हालांकि सी. पी. एस. (संशोधित वेतन) नियमों के अंतर्गत ऐसी कोई अवज्ञा मौजूद नहीं है। पैरा 3.1 पर। छठी सी. पी. सी. सिफारिशों में से यह कहा गया है कि: "भारत सरकार के मुख्यालयों और क्षेत्रीय संगठनों में कार्यालय कर्मचारी

3.1.1 भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के विभिन्न सचिवालय मिलकर मुख्यालय संगठन का गठन करते हैं। सचिवालय मुख्य रूप से नीति निर्माण से संबंधित मामलों में शामिल होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि इन नीतियों को समन्वित और प्रभावी तरीके से निष्पादित किया जाए। हालांकि, इन नीतियों का वास्तविक निष्पादन सचिवालय के बाहर अन्य एजेंसियों पर छोड़ दिया जाता है जो या तो संबद्ध या अधीनस्थ अधिकारी या अर्ध-सरकारी/स्वायत्त/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हो सकते हैं। "

22. यदि उत्तरदाताओं का निवेदन है कि मुख्यालय का तात्पर्य नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय से है, तो इस तरह के विवाद के लिए कोई स्पष्ट या निहित वारंट नहीं है। अलग-अलग केंद्र सरकार के संगठनों के मुख्यालय भौगोलिक रूप से फैले हो सकते हैं और हैं-कुछ, जानबूझकर कार्यात्मक आवश्यकता को देखते हुए और अन्य एक ऐतिहासिक वास्तविकता के रूप में। ये, बिना किसी और चीज के, भेदभाव या वैध भेदभाव का आधार नहीं हो सकते हैं। "

(जोर दिया गया)

7. उच्च न्यायालय द्वारा किए गए विचार के तरीके पर ध्यान देने के बाद, इसकी शुद्धता की सराहना करने के लिए विज्ञापन देने से पहले, शक्ति 867 से संबंधित संबोधित प्रतिद्वंद्वी विवादों पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

भारत और ओ. आर. एस. का संघ बनाम D.G.O.F. कर्मचारी संगठन और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 868

न्यायालय का वेतनमान के निर्धारण से संबंधित पहलू पर गहन विचार करना। अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने इस तर्क के समर्थन में कि वेतनमान का निर्धारण नियोक्ता के दायरे में है और न्यायालय को संयम बरतना चाहिए, राज्य में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

पंजाब और अन्य बनाम जगजीत सिंह और अन्य (2017) 1 एस. सी. सी. 148 के साथ विशेष ग पैरा 42 का संदर्भ जिसमें समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित मामलों पर विचार करने से संबंधित मापदंडों को जोड़ा गया है और किस हद तक कर्मचारियों के एक समूह के बीच दूसरे समूह के साथ तुलना की अनुमति है। इसमें कहा गया है कि जहां एक संगठन के कर्मचारियों के एक समूह और एक अलग संगठन के कर्मचारियों के दूसरे समूह के बीच कोई तुलना नहीं है, वहां "समान काम के लिए समान वेतन" के सिद्धांत के अंतर्गत वेतनमान के समीकरण का कोई प्रश्न नहीं हो सकता है, भले ही दो संगठनों में एक समान नियोक्ता हो।

8. भारत संघ बनाम भारतीय नौसेना नागरिक डिजाइन में निर्णय

ऑफ़ीसर्स एसोसिएशन और एक अन्य (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 173 को अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा इस न्यायालय के पहले के फैसलों के संदर्भ में पैरा 11 से 14 में किए गए विचार को इंगित करने के लिए संदर्भित किया जाता है। इसके बाद यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि न्यायालयों को नौकरी के मूल्यांकन का कार्य नहीं करना चाहिए जो आम तौर पर वेतन आयोगों जैसे विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाता है जो काम की प्रकृति, कर्तव्यों, जवाबदेही और पदों से जुड़ी जिम्मेदारियों, किसी विशेष पद पर बैठे व्यक्तियों को प्रदान की गई शक्तियों की सीमा, पदोन्नति के अवसर, सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियम, समान नौकरियों के साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संबंध आदि जैसे कई कारकों को ध्यान में रखते हुए नौकरी के मूल्यांकन के लिए कठोर अभ्यास करते हैं। 9. दूसरी ओर उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने भारत संघ बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। दिनशान के. के. (2008) 1 एस. सी. सी. 586 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यद्यपि पदों का समीकरण और वेतन संरचना का समीकरण जटिल मामले होने के कारण आम तौर पर वेतन आयोग आदि जैसे कार्यकारी और विशेषज्ञ निकायों पर छोड़ दिया जाता है और सावधानीपूर्वक विकसित वेतन संरचना को न्यायालय द्वारा सामान्य रूप से बाधित नहीं किया जाना चाहिए

क्योंकि यह संतुलन को बिगाड़ सकता है और अन्य संवर्गों में भी टालने योग्य उथल-पुथल का कारण बन सकता है, फिर भी, एक पूर्ण नियम के रूप में यह कहना सही नहीं होगा कि केवल इसलिए कि वेतनमान का निर्धारण और वेतनमान देना कार्यपालिका का विशेषाधिकार है, न्यायालय को किसी भी वेतन संरचना की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है और एक पीड़ित कर्मचारी को कोई उपाय नहीं दिया जा सकता है यदि उसके साथ मनमाने ढंग से राज्य कार्रवाई या निष्क्रियता द्वारा अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता है, सिवाय इसके कि वह खटखटाता रहे।

/

[2023] 14 एस सी आर।

कार्यपालिका या विधायिका के द्वार। इसमें आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निस्संदेह, जब समान पदों या पदों पर आसीन व्यक्तियों की योग्यता, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संबंध में कोई विवाद नहीं है, लेकिन उनके साथ केवल इसलिए अलग-अलग व्यवहार किया जाता है क्योंकि वे अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं या वर्गीकरण या पद का आधार प्रत्यक्ष रूप से तर्कहीन, मनमाना या अन्यायपूर्ण है, तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है।

10. इस न्यायालय द्वारा व्यक्त राय के संचयी अवलोकन से यह संकेत मिलेगा कि यद्यपि न्यायालय उन कर्मचारियों की तुलना करके काम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वेतनमान निर्धारित करने का अभ्यास नहीं करेंगे, जिन्हें ऐसे मामलों में समान रूप से नहीं रखा गया है जहां ऐसे जटिल मुद्दों को निर्धारित करने का अभ्यास उत्पन्न होगा, साथ ही, कर्मचारियों को राहत से इनकार नहीं किया जा सकता है जब नियोक्ता द्वारा मामले में शामिल तथ्यों को ध्यान में रखे बिना तर्कहीन विचार के कारण पात्रता से इनकार किया जाता है, जिससे कर्मचारियों को लाभ से वंचित किया जाता है। यदि मामले के इस पहलू को ध्यान में रखा जाता है, तो उच्च न्यायालय द्वारा किए गए विचार का अवलोकन, जैसा कि उच्च न्यायालय के निर्णय से ऊपर पुनरुत्पादित हिस्से से देखा गया है, यह खुलासा करेगा कि उच्च न्यायालय ने वह अभ्यास नहीं किया है जिसके बारे में इस न्यायालय द्वारा प्रतिबंध व्यक्त किया गया है। हालाँकि, स्वीकृत तथ्यों और पहले की स्थिति पर, जो मौजूद थी, वेतनमान के उचित अनुप्रयोग की गणना में वेतन आयोग की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है। इस संबंध में, उच्च न्यायालय द्वारा केवल इतना ही कहा गया है कि क्या जो कर्मचारी प्रत्यर्थी के सदस्य हैं और मुख्यालय में कार्यरत हैं, उन्हें सी. एस. एस./सी. एस. एस. एस. के कर्मचारियों के समान रखा गया है और इस संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए मामले पर आगे विचार किया गया है कि प्रत्यर्थी के सदस्यों के साथ भेदभाव न हो।

11. मामले के उस दृष्टिकोण में जो ध्यान में रखा जाना चाहिए वह यह है कि क्या वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायसंगत ठहराया गया था कि पैरा 3.1 में निहित प्रावधान। 9 छठी सी. पी. सी. की धारा तथ्य

स्थिति और उस संबंध में लागू होगी कि क्या उसने अपीलार्थी के इस तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया था कि उसे सिफारिशों के पैरा 3.1.14 द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा जिस तर्क का उल्लेख किया गया है, वह हमारे समक्ष आग्रह किया गया था। इस संबंध में, शुरुआत में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रथम प्रतिवादी के सदस्य कर्मचारियों के मामले में वेतनमान में समानता के संबंध में जो निष्कर्ष निकला है, वह मूल रूप से इस तथ्य के कारण है कि वे आयुध कारखाने के मुख्यालय में कर्मचारी हैं और इसलिए 869

भारत और ओ. आर. एस. का संघ बनाम D.G.O.F. कर्मचारी संगठन और ए. एन. आर. [ए. एस. बोपन्ना, जे.] 870

उन्हें सी. एस. एस./सी. एस. एस. सेना मुख्यालयों में सहायकों के साथ-साथ सिफारिशों में संदर्भित अन्य समान रूप से रखे गए संगठनों के समान ही रखा गया है। यदि यही स्थिति है, तो उच्च न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है, वह असाधारण है।

12. हालांकि, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने इस तर्क को पुष्ट करने के लिए कि सिफारिशों का पैरा 3.1.14 लागू होगा, भारत संघ और अन्य बनाम मनोज कुमार और अन्य सिविल अपील Nos.913-914 2021 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करने की मांग की है, जिसका निपटारा 31.08.2021 पर किया गया है, जिसमें यह अदालत पैरा 3.1 में निहित उसी प्रावधान की जांच करते हुए है।¹⁹ और 3.1.14 इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उक्त मामले में समान वेतन का लाभ नहीं बढ़ाया जा सकता है और यह अभिनिर्धारित किया था कि वेतन आयोग, जो विसंगतियों को हल करने के उद्देश्य से स्थापित एक विशेष निकाय है, ने अपनी सिफारिश की थी, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। इस निर्णय से संकेत मिलता है कि इस न्यायालय ने हालांकि छठे सी. पी. सी. की सिफारिशों में निहित अनुच्छेद का उल्लेख किया था, लेकिन उसमें जो विचार के लिए आया था वह सचिवालय और क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच असमानता के संबंध में था। उस मामले में पूर्वी मध्य रेलवे (क्षेत्रीय कार्यालय सीई/क्षेत्रीय रेलवे) में कार्यरत निजी सचिव ग्रेड II द्वारा केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में काम करने वाले अपने समकक्षों के साथ वेतन में समानता का दावा किया गया था। उस दृष्टिकोण से, इस न्यायालय का विचार था कि हालांकि एक टिप्पणी है कि सिफारिशें पैरा 3.1 के अंतर्गत सेवा में निजी सचिवों और उनके समकक्ष पदों पर उत्परिवर्तन लागू होंगी।¹⁹; बाद के पैरा 3.1.14 में क्षेत्र और सचिवालय कार्यालय के बीच समानता के पहलू पर विशेष रूप से विचार किया गया है जो वास्तव में उसमें दावे का विषय था। उक्त अवलोकन, हालांकि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा जोर दिया गया है, यह इंगित करेगा कि यह यहाँ विचार के समान विचार नहीं है। जैसा कि ऊपर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश के पुनरुत्पादित पैराग्राफ के प्रमुख भाग से देखा गया है, यह खुलासा करेगा कि तत्काल तथ्यों में उच्च न्यायालय द्वारा पैरा 3.1 पर रखी गई निर्भरता।¹⁹ यह इस तथ्य पर

आधारित है कि समानता थी क्योंकि कार्यान्वयन के लिए मांगा गया वेतनमान वही है जो मुख्यालय के कर्मचारियों को प्रदान किया गया था क्योंकि उन्हें सीएसएस/सीएसएसएस में मुख्यालय के कर्मचारियों के समान ही रखा गया था।

13. इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा जिस बात पर भी विचार किया गया, वह वेतनमान में ऐतिहासिक समानता है जो छठे सी. पी. सी. की सिफारिशों से पहले मौजूद थी। ऐसी ऐतिहासिक समानता जो

/

[2023] 14 एस सी आर।

अस्तित्व में था और उस संदर्भ में, लागू वेतनमान को ध्यान में रखा गया था और तदनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि आयुध कारखानों के मुख्यालयों में कर्मचारियों को समान रूप से रखा जा रहा है, उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए, तत्काल मामले में इस तरह का विचार इस न्यायालय द्वारा अनुमत मापदंडों के भीतर आएगा। इसके अलावा, वर्तमान परिस्थिति में, उच्च न्यायालय ने तथ्य स्थिति पर ध्यान दिया है और इस तरह वेतन विसंगति को ठीक किया है। वास्तव में, भारतीय नौसेना में निचली संरचनाओं में सहायकों के वेतनमान के संबंध में सीएसएस में सहायकों के वेतनमान के संबंध में समानता के प्रश्न को इस न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 14 का भेदभावपूर्ण और उल्लंघनकारी माना गया था

अखिल भारतीय नौसेना लिपिक संघ और अन्य बनाम संघ के मामले में।

2019 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) No.29204 दिनांक 27.07.2022 से उत्पन्न सिविल अपील में भारत सरकार और अन्य।

14. जैसा कि उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया है, यह स्पष्ट है कि तीसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों (01.01.1973 से 31.03.1985 की अवधि के लिए) के अंतर्गत 01.01.1986 से पहले भी एल. डी. सी., यू. डी. सी., सहायक/पी. ए. और आशुलिपिक की तुलना में वेतनमान की समानता बनाए रखी गई थी। यह समानता चौथे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों (01.01.1986 से 31.12.1995 तक) और पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों (01.01.1996 से 14.09.2006 की अवधि के लिए) में जारी रही। सहायक, पीए और आशुलिपिक का पद महानिदेशक आयुध कारखाने मुख्यालय सिविल सेवा नियम, 1977 द्वारा शासित है। 15. चाहे जो भी हो, वर्तमान तथ्यों में उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय ने कानूनी और साथ ही तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते आक्षेपित इस तरह से कार्रवाई नहीं की है कि विभिन्न संगठनों में कर्मचारियों के दो समूहों की बराबरी की जा सके। लेकिन, वेतन आयोग की सिफारिशों और मुख्यालय में नियोजित समान रूप से नियुक्त कर्मचारियों के लिए अनुशंसित वेतनमान की प्रयोज्यता को ध्यान में रखते हुए और ऐतिहासिक समानता के बावजूद भेदभाव को ध्यान में

रखते हुए केवल त्रुटि को सुधार दिया है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।¹⁶. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील योग्यता से रहित होने के कारण, लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना खारिज कर दी जाती है।

17. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

याचिका खारिज कर दी गई।

दिव्या पांडे